न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No. /
Manual no- 74/2021

(Bank Case)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसका पंजीकृत कार्यालय– 9th फ्लोर, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई, महाराष्ट्र–400021 एवं शाखा कार्यालय– विज्ञान नगर, कोटा में स्थित व कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री नटवर कुमार झा.

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री राम शादी कार्ड जरिये प्रोपराइटर अजय गोयल **(ऋणी / बंधककर्ता)**
पताः नया कटला,यूको बैंक के पास, रामपुरा, जिला–कोटा (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 01.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसका पंजीकृत कार्यालय– 9th फ्लोर, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई, महाराष्ट्र–400021 एवं शाखा कार्यालय– विज्ञान नगर, कोटा में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने ऋण खाता संख्या 3916481105 को दिनांक 11.12.2014 को 10,87,000/–(अक्षरेः रूपये आठ लाख पचास हजार मात्र), ऋण खाता संख्या 3816963099 को दिनांक 15.05.2020 को 1,08,000/–(अक्षरेः रूपये एक लाख आठ हजार मात्र) ऋण, खाता संख्या 3832568227 को दिनांक 01.07.2020 को 2,17,000/–(अक्षरेः रूपये दो लाख सत्रह हजार मात्र), ऋण खाता संख्या 4062275293 को दिनांक 10.11.2020 को 12,897/– (अक्षरेः रूपये बारह हजार आठ सौ सतानवे मात्र), कुल ऋण रूपये 14,24,897/–(अक्षरेः रूपये चौदह लाख चौईस हजार आठ सौ सतानवें मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री अजय गोयल पुत्र श्री पुरूषोत्तम गोयल की आवासीय सम्पत्ति जो कि प्रथम तल, आर्य समाज रोड़, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 424 वर्ग फीट है। चतुःसीमा पूर्व में–गली के बाद रवी रेडीयो की दुकान, पश्चिम में– इगल प्रीन्टिग का मकान के बाद गली, उत्तर में–श्री हकीम चक्की वाले का मकान, दक्षिण में– आर्य समाज रोड़,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाता संख्या 3916481105, खाता संख्या 3816963099, खाता संख्या 3832568227, खाता संख्या 4062275293 को दिनांक 31.03.

जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज०)

2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के खातों में बकाया कुल रूपये 15,41,517 रूपये (अक्षरेः– पन्द्रह लाख इकतालिस हजार पांच सौ सत्रह रूपये मात्र।) दिनांक 07.04. 2021 तक व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वाराThe Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्ंथा को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तिय सस्ंथा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 07. 04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये । इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **बंधक अचल सम्पत्ति श्री अजय गोयल पुत्र श्री पुरूषोत्तम गोयल की आवासीय सम्पत्ति जो कि प्रथम तल, आर्य समाज रोड़, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 424 वर्ग फीट है। चतुःसीमा पूर्व में–गली के बाद रवी रेडीयो की दुकान, पश्चिम में– इगल प्रीन्टिग का मकान के बाद गली, उत्तर में–श्री हकीम चक्की वाले का मकान, दक्षिण में– आर्य समाज रोड़** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 01-09.2021को सुनाया गया ।

1/9/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)